

फाइल सं. ए.12018/ 57/2019-लेप  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बंकुरा रेडियोग्राफर समूह 'ग' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बंकुरा पश्चिम बंगाल में रेडियोग्राफर समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। [baidyanath.prasad@nic.in](mailto:baidyanath.prasad@nic.in)



(बैद्यनाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061510

नई दिल्ली

दिनांक 

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ..... 2019

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 31 मार्च, 1986 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा ज़िला, पश्चिम बंगाल (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1985, जहां तक इनका संबंध रेडियोग्राफर के पद से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का करार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम         | पदों की संख्या | वर्गीकरण   | वेतन मैट्रिक्स में स्तर                                   | चयन पद है अथवा अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।   | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।  | क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी? | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता। |
|-------------------|----------------|--|---|-------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| (1)               | (2)            | (3)  | (4)   | (5)                     | (6)  | (7)  | (8)  | (9)                            | (10)   |
| 1<br>रेडियोग्राफर | 01*<br>(2020)  | साधारण<br>केंद्रीय सेवा,<br>समूह 'ग'<br>अराजपत्रित,<br>गैर मंत्रालयी | वेतन<br>मैट्रिक्स<br>(29200 -<br>92300 रु.)<br>में स्तर-5 | लागू<br>नहीं<br>होता    | 18 से 25* वर्ष के बीच<br><br>*अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के मामले में 18 से 27 वर्ष के बीच<br><br>(जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के मामले में, सामान्य वर्ग विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालिस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br><br>टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।<br><br>टिप्पण 2: उन पदों के संबंध में जिन पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति होनी है। आयु सीमा निर्धारण की तारीख, प्रत्येक मामले में, वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया हो। | 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय ने विज्ञान विषय में 12वीं उत्तीर्ण या समतुल्य योग्यता; और<br><br>2. मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)।<br><br>3. मान्यता प्राप्त चिकित्सालय या मेडिकल संस्थान में रेडियोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव<br><br>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।<br><br>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरणे के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | लागू नहीं होता।  | दो वर्ष                        | 100% सीधे भर्ती द्वारा   |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेहन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।   | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|--|---|--|
| (11)   | (12)  | (13)   |
| लागू नहीं होता।  | विभागीय प्रोन्नति समिति (नियमित करने पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-<br>1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - अध्यक्ष<br>2. सहायक निदेशक या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य<br>3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य | लागू नहीं होता।  |

[ए.12018/57/2019-कुष्ठ]

(वैद्यनाथ प्रसाद)  
अवर सचिव, भारत सरकार